न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 11/2021

प्रार्थीगण :–

1. हनुमानसिंह उर्फ बाबूसिंह पुत्र श्री रामसिंह,
2. गणपतसिंह पुत्र श्री रामसिंह, जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम झाक, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. मांगूसिंह पुत्र श्री जालमसिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम झाक, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
2. भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा बिलाड़ा, जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– प्रार्थीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी, एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री धीरज चौधरी, एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 3 सरकारी पैरोकार

:: **आदेश** :: दिनांक 10/10/2022

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 502 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 503 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी जयनारायण, घीसूलाल पिसरान बस्तीराम तथा भगवतीलाल पुत्र शिवराम जातियान ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की थी। जो जमाबन्दी संवत् 2032 से 2035 वास्ते सबूत पेश की। खातेदार जयनारायण, घीसूलाल पिसरान बस्तीराम ने आपस में मिलकर अपनी भूमि खसरा नम्बर 502 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 503 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा का रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 27.05.1975 को प्रार्थी संख्या 1 हनुमानसिंह उर्फ बाबूसिंह तथा अप्रार्थी संख्या 1 मांगूसिंह को कर दिया। उक्त बैचाननामा दिनांक 27.05.1975 को प्रार्थी संख्या 1 का आधा तथा अप्रार्थी संख्या 1 का आधा हिस्सा बंट में रखा गया। उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 27.05.1975 का राजस्व रेकर्ड में कोई म्यूटेशन स्वीकृत नही कर हल्का पटवारी ने जमाबन्दी संवत् 2041 से 2044 में खातेदारी इन्द्राज कर दी गयी। जमाबन्दी संवत् 2041 से 2044 में विवादित भूमि

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खसरा नम्बर 502 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा खसरा नम्बर 503 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा में 1/4 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 का तथा 3/4 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 का दर्ज कर दिया गया। जबकि रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 27.05.1975 में प्रार्थी संख्या 1 का आधा तथा अप्रार्थी संख्या 1 का आधा हिस्सा बंट में रखा गया था। जमाबन्दी संवत् 2041 से 2044 को देखने से मालूम पड़ता है कि उसमें पटवारी हल्का द्वारा अनाधिकृत एवं नियम विरूद्ध गलत हिस्सा का नोट लगाया है। हल्का पटवारी को किसी खातेदार के हिस्से में आयी भूमि को कम ज्यादा लिखने का कोई अधिकार नही है, अतः बिना अधिकार क्षेत्र के किया गया राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से को निरस्त किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 1 विद्युत विभाग में नौकर है, उसने पटवारी हल्का से मिलकर भूमि खसरा नम्बर 502 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा खसरा नम्बर 503 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा में जमाबन्दी संवत् 2041 से 2045 में 1/2 हिस्सा के बजाय 3/4 हिस्सा विधि विरूद्ध दर्ज करवा दिया। उसके बाद अप्रार्थी संख्या 1 ने 3/4 हिस्सा (यानि 8 बीघा 2 बिस्वा) में से प्रार्थी संख्या 2 को 1/4 हिस्से (यानि 2 बीघा 14 बिस्वा) का रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 26.12.2003 को कर दिया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी संख्या 2 को 1/4 हिस्से की 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि बैचान करने के बाद उसकी शेष पीछे बची भूमि 2/4 हिस्से में से 1/4 हिस्से यानि 2 बीघा 14 बिस्वा की भूमि को उसके राजस्व रेकर्ड में से कम कर प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि घोषित की जानी है। प्रार्थी संख्या 1 हनुमानसिंह उर्फ बाबूसिंह तथा अप्रार्थी संख्या 1 मांगूसिंह ने अपनी खरीदसुदा भूमि खसरा नम्बर 503 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा में एक ओपन कुआ को खुदवाया एवं अप्रार्थी संख्या 1 विद्युत विभाग में नौकरी करने के कारण उसने अपने नाम से ओपन कुआ एवं विद्युत कनेक्शन को प्राप्त कर लिया। प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 1 अपनी सयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 502, 503 पर सिचाई का कार्य करने लग गये, कुछ समय बाद भूमि खसरा नम्बर 503 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा में स्थित ओपन कुआ में पानी सूख गया एवं ओपन कुआ जीर्णक्षीर्ण अवस्थ में हो गया एवं अभी ओपन कुआ बंद पड़ा है, तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी सयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 502 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा खसरा नम्बर 503 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा में दर्ज 3/4 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा की यानि 2 बीघा 14 बिस्वा का बैचान प्रार्थी संख्या 2 गणपतसिंह को कर दिया, उक्त बैचाननामा दिनांक 26.12.2003 के आधार पर प्रार्थी संख्या 2 गणपतसिंह के पक्ष का राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 1494 स्वीकृत कर खातेदार इन्द्राज किया गया। उसके बाद खसरा नम्बर 503 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा की भूमि में प्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने आपस में मिलकर एक शामलाती टयूबवेल को खुदवाया, जिसमें प्रर्याप्त पानी हो गया एवं ओपन कुआ पर लगा विद्युत कनेक्शन को शामलाती टयूबवेल पर शिफ्ट कर सिचाई आदि का कार्य करने लग गये।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अप्रार्थी संख्या 1 बिजली घर में नौकरी करता है तथा चालाक प्रवृति का व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 1 ने पहले तो राजस्व रेकर्ड में हेराफेरी कर हल्का पटवारी से मिलकर भूमि खसरा नम्बर 502 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा खसरा नम्बर 503 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा में अपना 1/2 हिस्सा के बजाय 3/4 हिस्सा दर्ज करवा दिया। प्रार्थी संख्या 1 व 2 को भूमि खसरा नम्बर 503 में शामलाती खुदी हुयी टयूबवैल में से पानी लेने से मेहरूम रखने की नियत से अप्रार्थी संख्या 1 ने बिना किसी प्रकार की प्रार्थी संख्या 1 व 2 की सहमति को प्राप्त किये ही विद्युत कनेक्शन को प्राप्त किया है। इस प्रकार खसरा नम्बर 503 में शामलाती खुदी हुई टयूबवेल तथा विद्युत कनेक्शन का उपयोग व उपभोग करने का प्रार्थीगण का पूरा हक व अधिकार है एवं अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थीगण ने नलकूप के उपयोग व उपभोग में बाधा पहुचाने का अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थीगण को उसके हक हिस्से की भूमि मय नलकूप के उपयोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट डालने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसकीी पूर्ति किया जाना संभव नही होगा।

अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो स्वयं या अपने रिश्तेदारों या अन्य किसी से ग्राम झाक तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर 503 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा एवं उसमें स्थित नलकूप मय बिजली कनेक्शन का प्रार्थीगण द्वारा उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी एवं अन्य प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न नही करे। खसरा नम्बर 502 कबा 3 बीघा 9 बिस्वा के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री धीरज चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 1 गलत होने से अस्वीकार है। पद संख्या 2 इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की सरहद में खसरा नम्बर 502 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा खसरा नम्बर 503 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा खातेदारी भूमि जयनारायण, घीसूलाल पिसरान बस्तीराम का 1/2 हिस्सा तथा भगवतीलाल पुत्र शिवराम का 1/2 हिस्सा था, जो जमाबन्दी संवत् 2032 से 2035 में दर्ज है। पद संख्या 3 इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि खातेदार जयनारायण, घीसूलाल पिसरान बस्तीराम ने आपस में मिलकर अपनी भूमि खसरा नम्बर 502 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा खसरा नम्बर 503 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा में से अविभाजित 1/2 हिस्सा का रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 27.05.1975 को प्रार्थी संख्या 1 हनुमानसिंह तथा अप्रार्थी सख्या 1 मांगूसिंह

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

को कर दिया। उक्त बैचाननामा दिनांक 27.05.1975 में प्रार्थी संख्या 1 का 1/2 अर्थात् कुल का 1/4 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 का भी 1/2 अर्थात् कुल का 1/4 हिस्सा बंट में रखा गया। पद संख्या 4 इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि खातेदार जयनारायण, घीसूलाल ने आपस में मिलकर अपनी भूमिखसरा नम्बर 502 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा खसरा नम्बर 503 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा का रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 27.05.1975 को प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित कर दिया। उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 27.05.1975 का राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन संख्या 846 दिनांक 16.04.1987 को कर हल्का पटवारी ने जमाबन्दी संवत् 2041 से 2044 में खातेदार विवादित भूमि खसरा नम्बर 502 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा खसरा नम्बर 503 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा में 1/4 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 का तथा 1/4 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 का दर्ज कर दिया गया। रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 27.05.1975 में प्रार्थी संख्या 1 का 1/2 का 1/2 तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 का 1/2 हिस्सा बंट में रखा गया था। जमाबन्दी संवत् 2041 से 2044 में पटवारी हल्का द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 27.05.1975 के अनुसार सही व नियमानुसार अमल दरामद किया गया है। यहा यह उल्लेख किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 मांगूसिंह ने उक्त खसरा नम्बर 502 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा खसरा नम्बर 503 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा में से भगवतीलाल पुत्र शिवराम ब्राहम्ण का अविभाजित निहित हिस्सा 1/2 अर्थात् 5 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि भगवतीलाल के निधन के बाद उसकी पत्नी श्रीमति राधादेवी से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 1 मांगूसिंह ने दिनांक 20.06.1987 को क्रय कर लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप अप्रार्थी संख्या 1 मांगूसिंह का खसरा नम्बर 502 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 503 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा में से अप्रार्थी संख्या 1 मांगूसिंह का 3/4 हिस्सा अविभाजित की खातेदारी अधिकार अर्जित हो चुके थे, जिसकी पालना में राजस्व अभिलेख नामान्तरकरण संख्या 850 दिनांक 23.06.1987 को स्वीकार होकर जमाबन्दी मे खसरा नम्बर 502 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा खसरा नम्बर 503 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा में से अविभाजित 1/4 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 व शेष 3/4 हिस्सा अविभाजित अप्रार्थी संख्या 1 का राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया गया है। मामला हाजा में प्रार्थी ने इस पद में जानबुझकर अप्रार्थी संख्या 1 को अर्जित खातेदारी अधिकारों से वंचित करने की नियत से गलत व मिथ्या अभिवचन दर्ज किय है, जो विश्वसनीय नही है। पद संख्या 5 इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 विद्युत विभाग में नौकर है, उसने पटवार हल्का से नियमानुसार भूमि खसरा नम्बर 502 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा खसरा नम्बर 503 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा में जमाबन्दी संवत्

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

2041 से 2044 में 3/4 हिस्सा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.05.1975 व पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.06.1987 की पालना में अधिकार स्वरूप दर्ज कराया है। उसके बाद अप्रार्थी संख्या 1 ने 3/4 हिस्सा यानि 8 बीघा 2 बिस्वा में से प्रार्थी संख्या 2 को 1/4 हिस्सा यानि 2 बीघा 14 बिस्वा का रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 26.12.2003 को कर दिया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी संख्या 2 को 1/4 हिस्से की 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि बैचान करने के बाद उसके शेष पीछे बची भूमि 2/4 हिस्सा रहा है। प्रार्थी संख्या 1 के हिस्से को कम नही किया है। उक्त खसरान का कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा में से प्रार्थी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज है 1/4 हिस्से से अधिक हिस्सा घोषित कराने का अधिकार प्रार्थी को नही है। पद संख्या 6 इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि प्रार्थी संख्या 1 हनुमानसिंह व अप्रार्थी संख्या 1 मांगूसिंह ने अपनी खरीदसुदा भूमि 503 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा में एक ओपन कुआ को खुदवाया एवम् अप्रार्थी संख्या 1 विद्युत विभाग में नौकरी करने के कारण उसमें सहमति से अपने नाम से अपने खर्चे से ओपन कुआ पर विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर लिया। प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 1 अपनी सयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 502, 503 पर सिचाई का कार्य करने लग गये, कुछ समय बाद इन्द्र देव की नाराजगी से भूमि खसरा नम्बर 503 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा में स्थित ऑपन कुआ में पानी सुख गया एवं ओपन कुआ जीर्ण–शीर्ण हो गया एवम अभी ओपन कुआ बंद पड़ा है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी सयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 502 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 503 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा में दर्ज 3/4 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा की यानि 2 बीघा 14 बिस्वा का बैचान प्रार्थी संख्या 2 गणपतसिंह को कर दिया, उक्त बैचाननामा दिनांक 26.12.2003 के आधार पर प्रार्थी संख्या 2 गणपतसिंह के पक्ष में राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 1494 स्वीकृत कर खातेदार इन्द्राज किया गया। खसरा नम्बर 503 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने अविभाजित हिस्सा 1/2 में अपने खर्चे से टयूबवेल को खुदवाया, जिसमें प्रर्याप्त पानी हो गया एवं ओपन कुआ पर लगा अपने नाम विद्युत कनेक्शन भी अपने खर्चे से ले लिया। अप्रार्थी संख्या 1 सिचाई आदि कर कार्य कर रहा है, उक्त टयूबवेल में प्रार्थीगण का हक व हिस्सा नही है, प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में गत व मिथ्या कथन दर्ज किये है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश फरमावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है :–

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति :– प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए मूल रूप से कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की सयुक्त खातेदारीसुदा है तथा जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 का मौके पर सयुक्त रूप से काबिज है एवं सयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण को उक्त भूमि में काश्त हेतु टयूबवेल से पानी नही लेने देता है तो इससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मूल्यों में नही आंका जा सकता। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए मूल रूप से कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 502 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 503 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से जयनारायण, घीसूलाल ने अपना 1/2 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 1 को बैचान किया था, जिससे प्रार्थी का 1/4 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा सम्पूर्ण भूमि में बनता है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ने उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 502 व 503 के 1/2 हिस्से के खातेदार भगवतीलाल का निधन हो जाने के बाद उसकी पत्नी राधादेवी से उसका 1/2 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.06.1987 को खरीद किया था। जिससे उक्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का 3/4 हिस्सा निहित हुआ। जिसमें से अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी संख्या 2 को उपरोक्त भूमि में निहित अपने 3/4 हिस्से में से 1/4 हिस्सा यानि 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि का बैचान दिनांक 26.12.2003 को किया था जिसमें बैचाननामा के पेज संख्या 2 में स्पष्ट उल्लेख किया कि ''उक्त आराजी बैचान की गई में बेरा व मकान भी नही है। सिर्फ मात्र जमीन का ही बैचान किया गया है।'' जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी संख्या 2 को केवल जमीन का ही बैचान किया गया है तथा उक्त भूमि खसरा नम्बर 503 में खुदी हुई टयूबवेल पर विद्युत कनेक्शन भी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम का है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् के अनुसार तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के अनुसार वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी संख्या 1

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

का 1/2 हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 2 का 1/4 तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा घोषित करवाने हेतु वाद पेश किया है। जिसका निस्तारण नियमित साक्ष्य व सबूतों के आधार पर किया जायेगा। इसलिए मूल वाद के निस्तारण तक दोनो पक्षकारान द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि कें रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो राजस्व ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 502 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा (0.5582 हैक्टेयर), खसरा नम्बर 503 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा (1.1892 हैक्टेयर) के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 10/10/22 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा